मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—:—

क्र0 978/815/11/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 17/10/2017

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी ।

विषयः— वर्ष 2017—18 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2018—19 के बजट अनुमान की तैयारी का अनंतिम बजट कार्यक्रम।

संदर्भ :— म.प्र.शासन वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 1130/1497/2016/ब—1/चार भोपाल दिनांक 17/11/2016.

———

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आयोजना एवं आयोजनेतर के मध्य विभेदीकरण को समाप्त किया गया वर्ष 2017—18 का बजट प्रस्ताव तदनुसार विधान सभा से पारित किये गये । परिपत्र में अनिवार्य व्यय तथा अन्य व्ययों को स्पष्ट किया गया है ।

2/ वर्ष 2018—19 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2017—18 के पुनरीक्षित व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों की चर्चा दो चरणों में की जायेगी । प्रथम चरण में प्रतिबद्ध स्वरूप के व्यय जो कि संदर्भित पत्र की कण्डिका के भाग (क)— स्थापना एवं अन्य अनिवार्य व्यय (ब्याज भुगतान, ऋण वापसी, पेंशन, पेंशन अंशदान, एन्युटी भुगतान, अन्तर लेखांतरण समायोजन, डिक्री धन, कर, रायल्टी भुगतान, मंत्रियों, विधायकों एवं शासकीय सेवकों के वेतन भत्ते) इत्यादि तथा भाग (ख)— नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को समनुदेशन शामिल होंगे। द्वितीय चरण में शेष व्यय, जो कि संदर्भित पत्र की कण्डिका 2 के भाग—(ग) एवं (घ) पर अवस्थित हैं, पर चर्चा होगी।

निरन्तर..........

3/ वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के प्रस्ताव भेजने के समय कई विभागों द्वारा अनिवार्य तथा स्थापना मद में सही आंकलन न किये जाने से वेतन मद तक में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता उत्पन्न हुई है । अतः बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष एवं वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी होगी कि अनिवार्य व स्थापना व्यय का सटीक आंकलन किया जावे ।

4/ वर्ष 2018–19 के बजट प्रस्ताव आयुक्त कोष एवं लेखा के आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में भरा जाकर प्रेषित किया जावे। वर्ष 2017–18 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान की तैयारी का अनंतिम बजट का कार्यक्रम संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीत

(अजीत प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0क्र0 971 /815/2011/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 17/10/2017

प्रतिलिपिः–

1/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश भोपाल।
2/ प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
3/ राज्यपाल, मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
4/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल।
5/ निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
6/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
7/ सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
8/ सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल।
9/ आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10/ मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल।
11/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा,मध्यप्रदेश।
12/ समस्त प्राचार्य लेखा परीक्षण शाला मध्यप्रदेश।
13/ समस्त कोषालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
14/ गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

वर्ष 2017–2018 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2018–2019 के बजट अनुमान की तैयारी का अनंतिम बजट कार्यक्रम

1	1 नवम्बर, 2017	राजस्व प्राप्तियॉ/वसूलियों के बजट अनुमान 2018–19 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होना।
2	6 नवम्बर, 2017	द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017–18 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
3	7 नवम्बर, 2017	वर्ष 2018–19 के बजट प्रस्ताव आयुक्त कोष एवं लेखा के **आई.एफ.एम.आई.एस.** में भरा जाकर वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
4	10 नवम्बर,2017 से 22 नवम्बर, 2017 तक	प्राप्तियों तथा **वित्त विभाग के परिपत्र क्र.1130, दि0 17/11/16 की कंडिका–2(क) तथा (ख) से संबंधित** (प्रतिबद्ध स्वरूप के) व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा ।
5	23 नवम्बर,2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक	प्राप्तियों तथा **वित्त विभाग के परिपत्र क्र.1130, दि0 17/11/16 की कंडिका–2(क) तथा (ख) से संबंधित** (प्रतिबद्ध स्वरूप के) व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों) के साथ चर्चा ।
6	5 दिसम्बर, 2017	वर्ष 2018–19 नवीन मद के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
7	15 दिसम्बर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक	प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ बजट प्रस्तावों पर वित्त (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा ।
8	31दिसम्बर, 2017तक	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले विवरण की जानकारी विभागों से प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
9	02 जनवरी, 2018	जेण्डर बजट से संबंधित जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
10	05 जनवरी, 2018 तक	राज्य शासन द्वारा वर्ष 2016–17 में की गई भूमि आवंटन (रियायती) तथा दिनांक 31 दिसंबर, 2017 तक बकाया गारंटी की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्ति।
11	01 जनवरी, 2018 से 10 जनवरी, 2018 तक	प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त अन्य व्यय हेतु प्रमुख सचिव/सचिव वित्त के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों की चर्चा ।
12	10 जनवरी, 2018	माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री प्राप्त होने की अंतिम तिथि
13	11 जनवरी, 2018 से 19 जनवरी, 2018 तक	अपर मुख्य सचिव, वित्त के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों की बजट प्रस्तावों पर चर्चा ।
14	20 जनवरी 2018 से 25 जनवरी 2018 तक	आवश्यकतानुसार माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अन्य विभागों के माननीय मंत्रीगणों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा
15	31 जनवरी 2018	तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017–18 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
16	31 मार्च, 2018	प्रशासकीय विभागों द्वारा 31.3.2018 तक वर्ष 2017–18 हेतु पुनर्विनियोजन/समर्पण के पारित आदेश वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि

विशेष सूचनाः–1. उक्त बजट प्रस्ताव वित्त विभाग के आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में प्राप्त किये जायेंगे ।

2. वर्ष 2018–2019 के बजट में कोई अपरीक्षित व्यय का नवीन मद सम्मिलित नहीं किया जावेगा और न ही पुनर्विनियोजन प्रस्ताव कार्यक्रम में अंकित तिथि के बाद मान्य किया जावेगा । विभागों से अनुरोध है कि समय सारणी का कड़ाई से पालन करें।